"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 66] रायपुर, शनिवार, दिनांक 31 मार्च 2012—चैत्र 11, शक 1934

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/17/2012/वाक/पांच (16).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक दिनांक 01-04-2012 से 31-03-2013 तक की अवधि के लिये उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

अ.क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)	शर्ते एवं निर्बन्धन (4)
1.	नि:शक्त जनों के उपयोग में लाए जाने वाला मोटर वाहन.	संपूर्ण कर	जब ऐसा मोटर वाहन का प्रवेश नि:शक्तजनों द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु राज्य के बाहर से किया जाय.
2.	आयरन ओर तथा कोल	अंशत: जब इस पर कर की दर घटकर 0.5% हो जाये.	जब ऐसे माल का क्रय छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन पंजीकृत व्यवसायी द्वारा आयरन एवं स्टील के निर्माण में कच्चा माल के रूप में उपयोग हेतु राज्य के भीतर पंजीयत व्यवसायी से किया जाय तथा ऐसा निर्मित उत्पाद का विक्रय प्रांत के अंदर अथवा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अनुक्रम में अथवा भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में किया जाय.

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	कोल	अंशतः जब इस पर कर की दर घटकर 0.5% हो जाये.	जब ऐसे माल का क्रय छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन पंजीकृत व्यवसायी द्वारा आयरन एवं स्टील के निर्माण में कच्चा माल के रूप में उपयोग हेतु राज्य के भीतर से क्रय संलग्न प्रारूप में घोषणा पत्र के विरुद्ध किया जाय तथा ऐसा निर्मित उत्पाद का विक्रय प्रांत के अंदर अथवा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अनुक्रम में अथवा भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में किया जाय.

प्रारूप

घोषणा-पत्र

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक .... के अधीन)

मैं .... (व्यापारी का नाम) .... (पता), छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 के अधीन पंजीयन प्रमांण-पत्र क्रमांक .... का धारक व्यापारी एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने नीचे दिये गये विवरण अनुसार माल का क्रय .... (व्यापारी का नाम तथा पता) उक्त अधिनियम के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक .... धारक व्यापारी से किया है.

2. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि :—

(एक) मेरे द्वारा क्रय किया गया माल आयरन एवं स्टील के निर्माण में कच्चा माल के रूप उपयोग के लिये है.

(दो) मेरे द्वारा निर्मित उत्पाद का विक्रय प्रांत के अंदर अथवा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अनुक्रम में अथवा भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में किया जायेगा.

घोषणा-पत्र पर क्रय किए गए माल का विवरण

क्रय आदेश/बिल/इन्वाईस/कैश मेमो/ चालान का विवरण		क्रय किए गए माल का विवरण	मात्रा	मूल्य (रुपये)
क्रमांक (1)	दिनांक (2)	(3)	(4)	(5)

क्रय मूल्य (अंकों में) रुपये .... (शब्दों में) रुपये .... मा

स्थान ....

दिनांक ....

....

व्यवसायी के ह ाक्षर एवं सील

* जो लागू न हो उसे काट दें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम स ा आदेशानुसार,

जेवियर ाा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2012

क्रमांक एफ-10/17/2012/वाक/पांच (16).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/17/2012/वाक/पांच (16), दिनांक 31-03-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव

Raipur, the 31st March 2012

NOTIFICATION

No. F-10/17/2012/CT/V (16).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said act to the extent specified in column (3) for the period from 01-04-2012 to 31-03-2013 :—

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of Exemption	Restrictions and conditions
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Motor vehicle for use of disabled person.	Whole of tax	When such motor vehicle is entered from outside the state by disabled person for his own use.
2.	Iron ore & coal	Partly so as to reduce the rate of tax to @ 0.5%	When such goods are purchased from a registered dealer within the State by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 for use as raw material in the manufacture of iron & steel and such manufactured goods are sold within the state or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export outside the territory of India.
3.	Coal	Partly so as to reduce the rate of tax to @ 0.5%	When such goods are purchased within the State by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 against a declaration in appended form for use as raw material in the manufacture of iron & steel and such manufactured goods are sold within the state or in the course of interstate trade or commerce or in the course of export outside the territory of India.

FORM

DECLARATION

(Under C.T.D. Notification No. .... Dated ....)

I, ... (Name of the dealer) .... (address), a dealer holding registration certificate No. .... under the Chhattisgarh Value added Tax Act, 2005, hereby declare that I have purchased the goods, particulars of which have been given below from .... (Name and address of the dealer) a dealer holding registration certificate No. .... under the said adhiniyam.

2. I, further declare that :—

(i) the goods being purchased are for use as raw material in the manufacture of iron & steel.

(ii) the manufactured goods shall be sold within the State or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export outside the territory of India.

Particulars of goods purchased

Particulars of purchase bill/invoice/ cash memo/challan		Description of goods purchased	Quantity	Value (Rs.)
No.	Date			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Total Value (in figures) Rs. .... (in words) Rs. .... only.

Place ....

Date ....

....

Signature & Seal of the dealer.

* Strike out whichever is not applicable.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.